संख्या-39/2501 ई-2/तेरह-2014-39/2012

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनउ::दिनांक 16 दिसम्बर,2014

विषय:-अल्कोहल वर्ष 2014-15 में मे0 धामपुर शुगर मिल्स लि0, धामपुर, जनपद बिजनौर को अल्कोहल का देश के बाहर निर्यात करने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-35/नौ-2014-15/अ0नि0/714/देश के बाहर, दिनांक 02 दिसम्बर,2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 02 दिसम्बर,2014 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अल्कोहल वर्ष 2014-15 में मे0 धामपुर शुगर मिल्स लि0, धामपुर, जनपद बिजनौर को 85 लाख (पचासी लाख) ब0ली0 रेक्टीफाइड स्प्रिट/अब्सोल्यूट अल्कोहल/ई0एन0ए0 देश के बाहर निर्यात करने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि यदि प्रदेश के बाहर से शीरे का आयात किया जाता है तो तत्समय आसवक की मांग और शीरे के वास्तविक उत्पादन की स्थिति स्पष्ट होने पर देश के बाहर अल्कोहल के निर्यात की अनुमति पर पुन: तद्नुसार विचार किया जा सकता है। उक्त निर्यात की अनुमति इकाई की अधिष्ठापित क्षमता के अन्तर्गत् ही होगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

[redacted]

भवदीय,

(सुनील कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/asd/intra